जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

मनरेगा अन्तर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु

।। आवश्यक सूचना ।।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का नियमावली संकल्प ज्ञापांक 4729/ दिनांक 04.06.2007 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु **''प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी''** के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन की मांग की गई थी । अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं भरे गये ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे अभिकरण कार्यालय, गोड्डा के **सूचना पट्ट** एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेवसाईट ***www.godda.nic.in*** पर प्रकाशित किया किया गया था ।

प्रकाशित सूची में अभ्यर्थियों से दिनांक 23.06.2017 के अपराह्न 05:00 बजे तक आपत्ति की मांग की गई थी । कुछ अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति के पश्चात् जिला के चयन समिति की बैठक में आपत्ति का निराकरण किया गया । निराकरण के पश्चात् प्रारंभिक मेधा सूची को स्वच्छ किया गया । चयन समिति की बैठक में अभ्यर्थियों से पुनः दावा–आपत्ति लेने का निर्णय लिया गया ।

लिये गये निर्णय के आलोक में अभ्यर्थियों से दिनांक 31.05.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक पुनः आपत्ति की मांग की गई थी । कुछ अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति के पश्चात् जिला के चयन समिति की बैठक में आपत्ति का निराकरण किया गया । निराकरण के पश्चात् सूची को स्वच्छ करते हुए औपबंधिक मेधा सूची बनाया गया ।

औपबंधिक मेधा सूची के आधार पर चयन समिति द्वारा दक्षता परीक्षा लेने हेतु स्वच्छ रोस्टर के अनुसार अनारक्षित–03 पद के लिये 15 अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति–01 पद के लिये 05 अभ्यर्थी को बुलाने का निर्णय लिया गया ।

प्राप्त आपत्ति/ दावा निराकरण के पश्चात् औपबंधिक सूची एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने वाले चयनित अभ्यर्थियों की सूची अभिकरण कार्यालय, गोड्डा के **सूचना पट्ट** एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेबसाईट ***www.godda.nic.in*** पर प्रकाशित कर दी गई है, जिसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दे दी जा रही है । दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक ***31.07.2018*** के पूर्वाह्न 10:00 बजे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा अवस्थित प्रशिक्षण भवन सह सभागार में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे । निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपको अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को अपने साथ सभी मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी अभिप्रमाणित छाया प्रति लाना अनिवार्य है ।

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गोड्डा ।